

इलिनॉय कोर्ट-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम

स्वीकार्य किरायेदार दस्तावेज़

पहचान का स्वीकार्य प्रमाण

सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र स्वीकार्य हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस या रियल आईडी
- अस्थायी आगंतुक ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- मैट्रिकुला वाणिज्य दूतावास या कोई विदेशी वाणिज्य दूतावास आईडी
- अमेरिकी या विदेशी पासपोर्ट
- अमेरिकी स्थायी निवास निवासी कार्ड
- शिकागो सिटीकी आईडी कार्ड

पते का स्वीकार्य प्रमाण

निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं, और उनमें आवेदक का नाम, किराये का पता शामिल होना चाहिए, तथा आवेदन की तिथि से 60 दिन पहले का होना चाहिए।

- उपयोगिता बिल (गैस, बिजली, पानी, कचरा, आदि)
- केबल/इंटरनेट बिल
- सेल फोन बिल
- बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
- सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़

घरेलू आय का स्वीकार्य प्रमाण

यदि आपका टैक्स रिटर्न उपलब्ध है, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- आपके सबसे हाल ही में दाखिल किए गए कर रिटर्न (फॉर्म 1040) के पेज एक और दो

यदि आपका कर रिटर्न उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित भी स्वीकार्य हैं:

- नवीनतम W-2 टैक्स फ़ॉर्म
- सबसे हालिया टैक्स वर्ष के लिए 1099 फॉर्म

यदि उपरोक्त अनुपलब्ध हो तो निम्नलिखित भी स्वीकार्य हैं:

- वर्ष-दर-वर्ष अर्जित आय दर्शाने वाला सबसे हालिया वेतन स्टब
- सबसे हालिया लाभ पुरस्कार पत्र, विवरण, या मौजूदा भुगतान विवरण लाभ
- सबसे हालिया लाभ और हानि विवरण (स्व-नियोजित या अनुबंध कार्य)



बेदखली अदालत का दस्तावेजीकरण

- न्यायालय के दस्तावेजों पर सर्किट कोर्ट द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए, जिसमें वादी (आवास प्रदाता/मकान मालिक/स्वामी), प्रतिवादी (किरायेदार) और केस नंबर शामिल हो, जो दर्शाता हो कि भुगतान न करने के कारण आपका निष्कासन लंबित है। *कृपया ध्यान दें कि पात्रता के लिए, निष्कासन के कागजात पर प्राथमिक किरायेदार/आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- लंबित अदालती बेदखली के सबूत के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, लेकिन आवेदक पुनः आवेदन कर सकते हैं।

सार्वजनिक सहायता का प्रमाण (यदि लागू हो)

वर्तमान पते सहित कार्यक्रम द्वारा जारी पुरस्कार पत्र, जिसमें शामिल हैं:

- सैप
- टीएएनएफ
- मेडिकऐड
- मेडिकेयर पार्ट डी कम आय सब्सिडी
- शुरुआती बढ़त
- निम्न-आय गृह ऊर्जा सहायता (CEDA)
- महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम (WIC)

आय का पुनःप्रमाणन (यदि लागू हो) जैसे धारा 8:

- कृपया अपने किराए का हिस्सा दर्शाने वाले दस्तावेज़ (जैसे कि किराया प्रमाणपत्र पत्र) अपलोड करें।

